मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,भोपाल

क्रमांक / एफ01-119 / 2018 / 20–1, भोपाल,दिनॉक 28/08/2018

प्रति,

1–आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

2–समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण

3–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

मध्यप्रदेश ।

विषयः–प्राथमिक शिक्षक,माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, के नियोजन की प्रक्रिया।

––0––

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के (इसके पश्चात् भर्ती नियम 2018 से संबोधित) नियम 11 उप नियम (9) में प्रावधान है कि " नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गो के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिका आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।" इस प्रावधान के अधीन राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं चयन सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया का निम्नलिखित अनुसार निर्धारण किया जाता है :–

1. पात्रता परीक्षा के विषय :–

(1.1) हाईस्कूल / उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होंगी। पात्रता परीक्षा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान / प्राणीविज्ञान), भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृहविज्ञान विषय में आयोजित होगी। आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।

(1.2) माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले **माध्यमिक शिक्षक** की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय अन्तर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयो के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय अन्तर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माईक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फरमेट्रिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा।

(1.3) प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किये जाने वाले **प्राथमिक शिक्षक** के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कामन इन्ट्रेंस पात्रता परीक्षा के रूप मे होगी।

(1.4) **माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक** के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है, उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं :–

शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम 2018 के नियम 8 की **अनुसूची–तीन** के अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता अभ्यर्थी को धारित करना अनिवार्य होगा।

3. शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण :–

(3.1) उपलब्ध रिक्त पदों में से पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जायेगी:-

(अ) उपलब्ध रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद भर्ती नियम, 2018 के नियम–11 के उप नियम–7(ख) (चार) के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जायेंगे।

(ब) शेष 75 प्रतिशत पद अन्य अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

(3.2) उपरोक्तानुसार कंडिका (3.1) के पदों में से राज्य शासन द्वारा, समय–समय पर जारी किए गये आदेश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित किये जाएंगे।

(3.3) कंडिका (3.1) 'अ' एव 'ब' के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित वर्ग) के लिए महिलाओं, दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण, भर्ती नियम 2018, के नियम 11 उप नियम (7) के अनुसार होगा।

(3.4) कंडिका (3.1) (अ) अनुसार उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियॉ ऐसे अतिथि शिक्षक वर्ग के नियोजन के लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

4. रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का आरक्षण :–

प्रदेश के शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त पदों पर विभाग के निर्देशानुसार रखे गये ऐसे अतिथि शिक्षकों को जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। चयन में उपलब्ध सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा बशर्ते :–

(अ) वे शिक्षक के लिए नियम–2018 की **अनुसूची–तीन** में उल्लेखित अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित करते हो।

(ब) इन निर्देशों की कंडिका–(5.4) अनुसार पात्रता परीक्षा न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर अर्हता प्राप्त की हो।

5. पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अर्हताकारी अंक :–

(5.1) भरती नियम, 2018 के नियम–11(2) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड (पी.ई.बी.) भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा

पृथक–पृथक तिथियों में आयोजित की जायेगी। एक आवेदक पात्रतानुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है।

(5.2) पी.ई.बी. भोपाल, पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा।

(5.3) पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन किया जायेगा।

(5.4) भर्ती नियम 2018 के नियम–11 (5) में दिये गये प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा :–

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / दिव्यांग व्यक्ति	अन्य
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60प्रतिशत

(5.5) पी.ई.बी. द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों की, उनके द्वारा प्राप्त किये गये प्राप्तांकों (दशमलव के दो अंकों तक) के आधार पर विषयवार एकीकृत परीक्षा परिणाम सूची जारी की जायेगी। इस सूची में अभ्यार्थी के प्राप्तांक के सम्मुख यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन एवं अतिथि शिक्षक का उल्लेख किया जायेगा। यह सूची पी.ई.बी. द्वारा एम पी ऑनलाईन को सीधे उपलब्ध कराई जायेगी।

(5.6) योग्यता सूची में अंक (दशमलव के पश्चात दो अंक तक) बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।

6. **रिक्तियों की गणना करना, विज्ञापन का प्रारूप एवं ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया :–**

रिक्तियों की गणना तथा नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रारूप जारी करने बाबत पृथक से निर्देश जारी किये जाएगें। पात्रता परीक्षा के उपरांत नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट–1** अनुसार होगी।

7. अतिथि शिक्षक द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में किये गये कार्य अनुभव को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के पश्चात अतिथि शिक्षक के द्वारा आवेदन में उल्लेखित किये गये कार्य अनुभव के सत्यापन की प्रक्रिया हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

8. **चयन का मापदण्ड एवं चयन सूची तैयार करना :–**

(8.1) मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में चयन सूची आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नियोक्तावार, पदवार (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) एवं प्रवर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग) महिलाओं, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक सहित एम.पी. ऑनलाईन द्वारा परिशिष्ट–2 अनुसार तैयार की जायेगी।

(8.2) अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों की मैरिट सूची एवं 75 प्रतिशत पदों के लिये पृथक–पृथक मैरिट सूची उपरोक्त कंडिका (8.1) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तैयार की जायेगी। परन्तु अतिथि शिक्षक के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों को अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(8.3) एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा अर्थात् उसके द्वारा दिये गये विकल्प के मेरिट के कम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात् उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियोक्ता के सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9. **प्रतीक्षा सूची :–**

अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर विषयवार, प्रवर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग) एवं नियोक्तावार अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों के लिये एवं 75 प्रतिशत पदों के लिये पृथक–पृथक दो प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण से रिक्त रहे पद, तथा अन्य कारणों से रिक्त रहे पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी। चयन सह प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी , किन्तु शासन की अनुमति से यह अवधि छह माह तक बढ़ाई जा सकेगी।

10. **नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थितिः–**

शिक्षकों के पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगें। निर्धारित प्रक्रिया **परिशिष्ट–3** अनुसार है।

11. **पदस्थापना :–**

चयनित अभ्यर्थियों की शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति उपरांत संस्थावार पदस्थापना की कार्यवाही नियत प्रकिया, **परिशिष्ट–4** अनुसार ऑनलाईन काउसिंलिग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जायेगी। पदस्थापना में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

8.8.18
अपर सचिव
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

21

पृ.क्रमांक एफ01-119/2018/20—1 भोपाल,दिनांक 28/08/2018

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मान.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।

2— निज सचिव, मान. मंत्री/राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा. विभाग भोपाल

3— अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

4— अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चिनार पार्क (ईस्ट) म.प्र. भोपाल ।

5— प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल ।

6— प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल।

7— आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, म.प्र. भोपाल ।

8— संभागीय आयुक्त (समस्त) म.प्र. ।

9— कलेक्टर्स (समस्त) मध्यप्रदेश।

10— संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल ।

11— आर्डर बुक ।

28.8.18

अपर सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट –1

(अ) पात्रता परीक्षा पश्चात् नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(1) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सीधी भर्ती के पदों का विषयवार/प्रवर्गवार रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाईन तैयार की जायेंगी एवं प्रमाणित जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को हार्ड कॉपी में भी निर्धारित दिनांक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदकों को, सीधी भर्ती के रिक्त पद पर आवेदन करने की सुविधा प्राप्त हो सकें, इस उद्देश्य से जिले से प्राप्त विषयवार एवं प्रवर्गवार जानकारी के आधार पर एक संक्षिप्त विज्ञापन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया जायेगा तथा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर एवं एम.पी.ऑनलाईन द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(ब) पात्रता परीक्षा परिणाम उपरांत ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया :–

(1) पात्रता परीक्षा में अर्हताधारी आवेदक रिक्त पदों पर नियोजन के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में प्रमाण पत्रों का पंजीयन कर सत्यापन करा सकेगा।

(2) अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता/शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता /जाति प्रमाण–पत्र /अतिथि शिक्षक के प्रकरण में अनुभव प्रमाण–पत्र/आयु संबंधी छूट से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा करने के उपरांत अभ्यर्थी को एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल से रेफरेंस नम्बर दिया जाएगा।

(3) रेफरेंस नम्बर प्राप्त करने के उपरांत आवेदक को नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल से करना होगा। आवेदक एक से अधिक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अधीन रिक्त पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के विकल्प का चयन कर सकेगा।

(4) आवेदक को एक से अधिक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के लिए प्राथमिकता के क्रम में विकल्प चयन की सुविधा प्राप्त रहेगी।

परिशिष्ट–2

निर्देश की कंडिका–3,8 एवं 9 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया:

(अ) **एकीकृत मेरिट सूची**–अतिथि शिक्षकों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत पदों एवं शेष 75 प्रतिशत पदों के लिये सर्वप्रथम आदेश की कंडिका–(8.1) अनुसार पृथक–पृथक विषयवार एकीकृत सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा और इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाये जाएगें। इस सूची में समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

(ब) **अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची–**

(1) **अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची–**
एकीकृत मेरिट सूची से सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मेरिट के क्रम में तैयार की जायेगी।

(2) **महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया–**
अनारक्षित प्रवर्ग में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनारक्षित वर्ग की रिक्त पदों के अनुसार तैयार की गई सूची में यदि 50 प्रतिशत से कम महिलाओं के नाम सम्मिलित है तो मेरिट सूची में उतनी संख्या में पुरूष अभ्यर्थियों के नाम सबसे नीचे के क्रम से हटाये जायेंगे एवं उनके स्थान पर एकीकृत सूची में मेरिट के क्रम में आने वाली महिलाओं के नाम उतनी ही संख्या में सम्मिलित किये जायेंगे। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में महिलाओं की अनुपलब्धता होने पर इसकी पूर्ति मेरिट के क्रम में पुरूष अभ्यर्थियों से की जा सकेगी।

अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाते समय महिलाओं के लिए आरक्षण की इसी प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। किसी प्रवर्ग में महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से मेरिट के आधार पर की जायेगी।

(3) **दिव्यांग व्यक्तिओं का चयन**—अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा स्थिति महिला दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरूष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को इस सूची में सम्मिलिति किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(4) **भूतपूर्व सैनिकों का चयन**—अनारक्षित प्रवर्ग में जितनी संख्या में पद भूतपूर्व सैनिक व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे उन्हें मेरिट के क्रम में चयनित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी के स्थान पर यथा स्थिति महिला भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा एवं पुरूष अभ्यर्थी के स्थान पर मेरिट के क्रम में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को इस सूची में सम्मिलित किया जायेगा, ताकि महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हो।

(5) अनारक्षित प्रवर्ग की सूची में योग्यता के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग का कोई अभ्यर्थी हो तो उसके चयन को आरक्षित प्रवर्ग के विरूद्व नहीं माना जावेगा। अनारक्षित वर्ग की मेरिट सूची में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थी को अनारक्षित प्रवर्ग में माना जायेगा।

(स) **आरक्षित वर्ग की मेरिट सूची**— अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची तैयार किये जाने के पश्चात् एकीकृत मेरिट सूची से प्रावीण्यता के कम में अनारक्षित सूची में सम्मिलित किए जा चुके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्गो के अभ्यर्थियों को छोड़कर आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पंदों का चयन उपरोक्त कंडिका—ब (2), (3) एवं (4) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही आरक्षित प्रवर्ग की पृथक—पृथक सूची तैयार की जायेगी।

परिशिष्ट –3

नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर से नियुक्ति आदेश तथा चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थितिः–

(1) प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्यवाही नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर विषयवार, प्रवर्गवार चयन सूची से की जायेगी।

(2) उक्तानुसार तैयार की गई नियुक्तिकर्तावार/विषयवार एवं प्रवर्गवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अनारक्षित वर्ग) एवं महिलाओं ,दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिकों सहित मेरिट सूची एज्यूकेशन पोर्टल एवं इस प्रयोजन हेतु नियत पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी तथा इसकी प्रति संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी के सूचना पटल पर भी चस्पा की जायेगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में होगा, नियुक्तकर्ता अधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा। नियुक्तकर्ता अधिकारी प्रमाण–पत्रों की पुनः जॉच करेगा एवं भर्ती नियम, 2018 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार चयनित आवेदक को नियुक्ति आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी करेगा।

(4) प्रत्येक पद (प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक) की प्रारंभिक नियुक्ति नियम, 2018 के नियम–13 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार 2 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

परिशिष्ट –4

पदस्थापनाः–

(1) नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर उपलब्ध समस्त रिक्त पदों की संस्थावार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एज्यूकेशन पोर्टल/एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जायेगी तथा रिक्त पदों की जानकारी को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा भी किया जायेगा।

(2) नियुक्तिकर्ता अधिकारी स्तर पर चयनित शिक्षकों से उपलब्ध रिक्त स्थानों पर एकीकृत मेरिट सूची के वरीयता क्रम में ऑनलाईन कांउसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर पदस्थापना की जायेगी। शैक्षणिक संस्थाओं में पदस्थापना की कार्यवाही विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार निश्चित तिथियों के अनुसार की जायेगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में होगा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को अपनी उपस्थिति देगा। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्रों की पुनः जांच करेगा एवं चयनित आवेदक को नियुक्ति आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी करेगा। तत्पश्चात चयनित आवेदक की ई–सेवा पुस्तिका, तैयार की जायेंगी ।

(3) संस्था के लिए पदस्थापना का आदेश एज्यूकेशन पोर्टल से जारी किया जायेगा। इसके उपरांत नियोजित किये गये शिक्षक को पदांकित शाला में पदभार ग्रहण कर नियमित अध्यापन कार्य संपन्न करना होगा।

(4) नियुक्तकर्ता अधिकारी, जारी नियुक्ति आदेश एवं आवश्यक प्रमाण–पत्रों को आवेदकों से प्राप्त कर ई–सेवा पुस्तिका तैयार करेंगे एवं फोटो एवं आवश्यक प्रमाण पत्र को अ‍ॅपलोड करायेगे। साथ ही एच.आर.एम.आई.एस. को अद्यतन करायेगे।